क्रमांक 3328873/छ.ग./2014

**कार्यालय प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

दिनांक /05/2015

## —: कार्यालयीन आदेश :—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3328873/छ.ग./2014/10150 दिनांक 01.08.2014 द्वारा श्री आर.के. देवांगन, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, छुईखदान को भड़भड़ी पिकअप वियर के बांयी तट में बने अफलक्स बंड के क्षतिग्रस्त होने के लिये तथा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण निलंबित कर मुख्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर में सम्बद्ध किया गया तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक 12139 दिनांक 09.09.2014 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।

प्रकरण में संबंधित के प्रतिउत्तर का सूक्ष्म परीक्षण कर मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा अधीक्षण अभियंता के अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुये लघु शास्ति का दण्ड अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त करने का अनुशंसा किया गया है।

प्रकरण में मुख्य अभियंता से प्राप्त अभिमत/अनुशंसा का परीक्षणोंपरांत श्री आर.के. देवांगन, उपअभियंता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में श्री आर.के. देवांगन, उपअभियंता का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित करते हुये निलंबन से बहाल किया जा कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पंडरिया, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में (रिक्त पद के विरूद्ध) पदस्थ करते हुये विभागीय जांच समाप्त कर निलंबन अवधि का नियमितिकरण किया जाता है।

**प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

**पृ. क्र. 3328873/छ.ग./2014** /330/नि.शा. (52110)

**दिनांक 14/05/2015**

**प्रतिलिपि :—**

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग।
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान।
6. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कबीरधाम।
7. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
8. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पंडरिया, जिला—कबीरधाम।
9. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, छुईखदान।
10. श्री आर.के. देवांगन, उपअभियंता द्वारा सरल क्रमांक—03.
11. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**



•• पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ ••